|| श्री ||

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प उज्जैन (म.प्र.)

निग -1006-III-16

रा. प्र.क. /15–16 रा.निगरानी

श्री मनोज कुमार सुमन अभि. द्वारा उज्जैन केम्प पर प्रस्तुत

17-3-16

(मनोज कुमार सुमन Ad.)

हीरालाल पिता कालु जाति गारी आयु 52 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासीग्राम जगोटी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.).......... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1:– सतीशचन्द्र पिता राजमल जाति तेली आयु 54 वर्ष

2:– ओमप्रकाश पिता राजमल जाति तेली आयु 52 वर्ष

दोनो का व्यवसाय कृषि निवासीग्राम जगोटी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)

...........प्रत्यर्थीगण

वादः–धारा 131 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व सहिता के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

उपरोक्त निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के द्वारा रा. प्र. क. 4अ13/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–02–2016 से असंतुष्ट होकर अन्य में निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है। निगरानी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1:– यह कि प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण के द्वारा मूल आवेदन पत्र धारा 131 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपने भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर जाने के लिये मार्ग परम्परागत मार्ग होना कथन कर मार्ग खुला कराने की याचना की गई है। जिसके संलग्न उनके द्वारा धारा 32 म.प्र. भूराजस्व संहिता का आवेदन पत्र माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

निरंतर........... पेज 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1006-तीन/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	